न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग

क्रमांक / प्रवाचक / अपर आयु0 / 2018 जबलपुर दिनांक 30 / 10 / 2018

प्रति,

विविध - 6306/2018/ नरसिंहपुर/भू०रा.

अवर सचिव,
राजस्व मण्डल,
मोती महल ग्वालियर,
कैम्प, जबलपुर।

विषय—इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 0830 / अपील / 16—17 के पुनर्विलोकन हेतु अनुमति बाबत्।

000

विषयांकित प्रकरण मे इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण मे दिनांक 29 / 1 / 2018 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थी श्री हल्के चमार द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है। उक्त अपील के संबंध मे अपीलार्थी की ओर से दिनांक 20 / 2 / 2018 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18 / 6 / 2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी की ओर से पुन दिनांक 23 / 7 / 2017 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पुनः नंबर पर कायम कर सुनवाई करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दिनांक 23 / 7 / 2018 को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना गया। चंकि प्रकरण मे इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण मे पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु मा. राजस्व मण्डल को मूल अभिलेख सहित प्रकरण प्रेषित हैं।

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	पारित आदेश
1	न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग का प्रकरण क्रमांक 0830 / अपील / 16—17 आदेश पत्रिका क्रमांक 1 से 7 अन्य पृष्ठ 1 से 31	हल्के चमार विरूद्व मध्यप्रदेश शासन	29 / 1 / 2018
2	पुनर्विलाकन आदेश पत्रिका पृष्ठ 1 से 6, अन्य पृष्ठ 1 से 42	हल्के चमार विरूद्व मध्यप्रदेश शासन	17 / 9 / 2018

अतिरिक्त कमिश्नर
जबलपुर संभाग।

निगरानी – 6306/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

3/12/18

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 830/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–1–18 के पुनरावलोकन की अनुमति चाही है जो पक्षकार के आवेदन दिनांक 20–2–18 के तथ्यों पर आधारित हैं।

2/ अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के पुनरावलोकन प्रस्ताव दिनांक 17–9–18 के कम में प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक 830/16–17 अपील में पूर्व पीठासीन अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 29–1–18 पारित किया गया है जिसके कारण उन्होंने संहिता की धारा 51 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है। प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार करने से एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। तद्नुसार पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है।

3/ अपर आयुक्त की आर्डरशीट दि. 18–6–18 एक प्रति इस प्रकरण में संलग्न की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य